न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 392/2026

(C.N.R. UPET010009512026)

लखन कुमार उर्फ लक्ष्मण उर्फ अनिरुद्ध उम्र 38 वर्ष पुत्र होरीलाल उर्फ होतीलाल उर्फ भीषम, निवासी आसेपुर, थाना मिरहची, जिला एटा।

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–174/2022
धारा–147,506,379,307,420,
467,468,471,406 भा०द०सं०
एवं **66 (सी) सूचना प्रोद्यौगिक अधिनियम**
थाना–मिरहची, जिला एटा।

20.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **लखन कुमार उर्फ लक्ष्मण उर्फ अनिरुद्ध** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–174/2022 जुर्म अन्तर्गत धारा–**147,506,379,307,420, 467,468,471,406 भा०द०सं०** एवं **66 (सी) सूचना प्रोद्यौगिक अधिनियम,** थाना **मिरहची**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी आशीष कुमार आर0 बी0 वी0 एस 0 इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन ख्वाजगीपुर मिरहची एटा का सचिव/प्रबन्धक है। उसके कॉलेज पर कम्प्यूटर ऑपरेटर/कैशियर का कार्य करने वाला लखन उर्फ लक्ष्मण उर्फ अनिरुद्ध यादव ग्राम आसेपुर थाना मिरहची जिला एटा का निवासी है। दिनांक 01.09.2022 को दोपहर 03.00 बजे कॉलेज पर कार्य की देखरेख करने अंशुल निवासी सराय मिश्र जिला एटा ने वादी को सूचना दी कि लखन अपने साथियों प्रवेश यादव, सनी एवं दो अन्य के साथ मिलकर कॉलेज का पूरा रिकार्ड व कम्प्यूटर बैगनार गाड़ी में भरकर कही ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर वादी ने अनुरुद्ध से फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की तो उससे सम्पर्क नही हो पाया। तब वादी कांलेज पहुँचा तो लखन के साथ उक्त सभी लोग कालेज पर मौजूद थे, उसने रिकार्ड एवं फीस आदि के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जबाब न देकर उसे जान से मारने की नीयत से उसके गले में गमछा डालकर फंदा कसने लगे। वादी की चीख पुकार सुनकर अंदर बैठे विनोद पवार व कोमल सिंह उसे बचाने के लिए आये, उनके आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए यह मौके से भाग गया। उसके संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी से मिलकर विद्यालय की एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर उसके संस्थान का लॉगिन आईडी व पासवर्ड लेकर उसका दुरुपयोग

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.20 16:43:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया है एवं छात्रो की लगभग 41 लाख रुपये फीस चुरा ले गया है एवं अनिरुद्ध द्वारा छात्रो को गुमराह करके स्वंय के एवं अन्य खातों अर्चना यादव, प्रवेश यादव व सनी पालीवाल में भी फीस की धनराशि ट्रांसफर करायी गयी है, जो छात्रो को संस्थान के खाते बताये गये है।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उपरोक्त केस में झूठा नाराजगी के कारण फँसाया गय है, जबकि उसने उपरोक्त केस से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त केस में सहअभियुक्त प्रवेश की दौरान विवेचना नामजदगी झूठी पायी गयी है, और उसके फोन की लोकेशन से उपरोक्त केस से उसको पृथक कर दिया गया है। उपरोक्त केस की कथित घटना दिनांक 01.09.2022 को समय 03:00 बजे दोपहर या उसके आस पास आवेदक एटा जनपद अथवा उपरोक्त घटनास्थल व जनपद एटा में मौजूद नहीं था। आवेदक का मो0 नं0–9536235225 है, घटना दिनांक 01.09.2022 को समय करीब 3 बजे दिन के बतायी गयी है, आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.08.2022 से लगातार 03.09.2022 तक मौहल्ला अशोक नगर पोस्ट ऑफिस रोड कानपुर में शिव दुर्गा सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा में उपस्थित रहा, जिसके सम्बन्ध में सी०सी०टी०वी० फुटेज उपरोक्त केस के विवेचक को उपलब्ध करा चुका है। रिपोर्ट में दर्शायी गयी सफेद वेगन आर कार आवेदक के साथ ही उपरोक्त स्थान पर मौजूद थी। उपरोक्त विवेचक अनुचित लाभ लेकर आवेदक को भी उपरोक्त केस से पृथक करना चाहता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य अनुचित लाभ देने का विवेचक को नहीं है। आवेदक को पता चला है कि उपरोक्त केस में धारा 307 आई०पी०सी० का लोप कर दिया गया है, बाकी सभी धाराएं 7 साल के सजा के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त केस में कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त वादी के संस्थान में कम्प्यूटर ऑपरेटर/कैशियर के रूप में कार्यरत था, जिसे संस्थान के अभिलेखों एवं वित्तीय लेन–देन से सम्बन्धित समस्त गोपनीय जानकारी एवं अभिगम प्राप्त था, जिसका दुरुपयोग करते हुए उसके द्वारा कूटरचित एवं फर्जी ईमेल आईडी बनाकर संस्थान का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त किया गया तथा उसका दुरुपयोग कर छात्रों की फीस की लगभग 41 लाख रुपये की धनराशि सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विभिन्न खातों में स्थानान्तरित कराकर हड़प ली है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता

है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्त की भूमिका,
2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्त के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,

5. अभियुक्त को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए–

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त वादी के संस्थान में कम्प्यूटर ऑपरेटर/कैशियर के रूप में कार्यरत था, जिसे पर संस्थान के अभिलेखों एवं वित्तीय लेन–देन से सम्बन्धित समस्त गोपनीय जानकारी एवं अभिगम प्राप्त था, जिसका दुरुपयोग करते हुए उसके द्वारा कूटरचित एवं फर्जी ईमेल आईडी बनाकर संस्थान का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त किया गया तथा उसका दुरुपयोग कर छात्रों की फीस की लगभग 41 लाख रुपये की धनराशि सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विभिन्न खातों में स्थानान्तरित कराकर हड़प ली है, जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कथित घटना दिनांक को वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, बल्कि दिनांक 31.08.2022 से लगातार 03.09.2022 तक मौहल्ला अशोक नगर पोस्ट ऑफिस रोड कानपुर में शिव दुर्गा सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा में उपस्थित रहा, जिसके सम्बन्ध में सी०सी०टी०वी० फुटेज उपरोक्त केस के विवेचक को उपलब्ध करा चुका है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। धारा 307 भा०द०सं० के सम्बन्ध में केस डायरी पर वादी की किसी प्रकार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं है एवं शेष धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **लखन कुमार उर्फ लक्ष्मण उर्फ अनिरुद्ध** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**174/2022** जुर्म अन्तर्गत धारा–**147,506,379,307,420, 467,468,471,406 भा०द०सं०** एवं **66 (सी) सूचना प्रोद्यौगिक अधिनियम,** थाना **मिरहची**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को रूपये पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 20.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538